(142)

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 398767 पटना, दिनांक:- 28/11/18

ग्रा0वि0-5/मु0स0क्र0(बजट)-106-05/2018

प्रेषक,

कँवल तनुज, भा0प्र0से0
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
दरभंगा, पटना, नालंदा, भोजपुर, जमुई एवं वैशाली ।

विषय:- **'मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना' के लाभ प्राप्त लाभुकों द्वारा वास भूमि क्रय करने हेतु सघन अनुश्रवण के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में शामिल जिलों से प्राप्त स्वीकृति आदेश एवं बैंक खाता संख्या के आधार पर वास स्थल विहीन परिवारों को वास भूमि क्रय करने हेतु उनके बैंक खाता में राज्य स्तर से मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजनान्तर्गत अनुमान्य सहायता राशि 60,000 (साठ हजार) रूपये की सहायता राशि अंतरित की गई है । विदित है कि योजनान्तर्गत सहायता राशि प्राप्त करने के तीन माह के अंदर लाभुक द्वारा वास भूमि क्रय करने संबंधी दस्तावेज प्रखंड कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना है । ताकि लाभुक को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत शीघ्र आवास का लाभ दिया जा सके। उल्लेखनीय है कि सहायता राशि प्राप्त लाभुकों की सूची विभागीय पत्रांक- 395584 दिनांक- 01.11.2018 से जिलों को प्रेषित है । लाभुकों द्वारा योजनान्तर्गत राशि के सदुपयोग हेतु जिला स्तर से सघन अनुश्रवण आवश्यक है ।

अत: अनुरोध है कि मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजनान्तर्गत सहायता राशि प्राप्त लाभुकों के वास भूमि क्रय करने का सघन अनुश्रवण किया जाय तथा इस संबंध में हुई प्रगति के संबंध में विभाग को शीघ्र सूचित किया जाय ।

विश्वासभाजन

28/11

(कँवल तनुज)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 398767 पटना, दिनांक 28/11/18

प्रतिलिपि- उप विकास आयुक्त, दरभंगा, पटना, नालंदा, भोजपुर, जमुई एवं वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28/11

सरकार के संयुक्त सचिव